संख्या-139/2017/2039/22-2-2016-17(218)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 मार्च 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकृपाल पुत्र श्री प्रहलाद सिंह निवासी जनपद- शाहजहांपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38319/पर-2(एम0 13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामकृपाल पुत्र श्री प्रहलाद सिंह निवासी-सेहरामऊ दक्षिणी, थाना-सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। पूर्व से चली आ रही मुकदमेबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03.03.1976 को अपरान्ह लगभग 04:00 बजे पिस्तौल से गोली मारकर एवं लाठियों से वार कर 01 व्यक्ति की हत्या की एवं 03 को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-296/1976 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 30.08-1977 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दाखिल अपील में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 21.01.1987 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 09.10.2016 तक 19 वर्ष 05 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 10 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार से मुक्त हो चुके हैं, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अपनी आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, शाहजहांपुर से प्राप्त अभिमत दिनांक 06.10.2016 में अवगत कराया है कि बन्दी द्वारा किये गये कार्य की प्रकृति एवं तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त रामकृपाल की समयपूर्व रिहाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। सलाहकार समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी को दिनांक 18.12.1978 से पूर्व दण्डित किया गया है जिस पर धारा-433-'क' लागू नहीं होती है। बन्दी द्वारा काटी गयी सजा अवधि, संतोषजनक जेल आचरण, बन्दी की अधिक आयु,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा की गयी समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामकृपाल सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है किन्तु क्रि0 रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2015 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न संख्या-52.6 के संदर्भ में दिये गये उत्तर के अनुसार बन्दी की रिहाई का आदेश सम्बन्धित मा० न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत से संदर्शित होना चाहिए। प्रश्नगत मामले में मा० प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-4, शाहजहांपुर ने अपने अभिमत में सिद्धदोष बन्दी राम कृपाल की समयपूर्व रिहाई किया जाना उचित नहीं बताया गया है। अत: मा० पीठासीन अधिकारी के अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिद्धदोष बन्दी रामकृपाल पुत्र श्री प्रहलाद सिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई को स्वीकार किया जाना उचित नहीं होगा।

3- मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-20419(एम0/बी0)/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामकृपाल पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-139/2017/2039(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।